न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 65/प्रा.पत्र/2015 (GCMS No. 2015/00184)	12.05.2015	16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

शंकर आ. नन्दा जाति माली (मृतक जरिये कायम मुकाम)
1.नन्दकिशोर आ. स्व. नाथूलाल माली, ग्राम मालिकपुरा
2.महावीर आ. स्व. नाथूलाल माली, ग्राम मालिकपुरा
3.मथरीबाई पत्नी स्व. नाथूलाल माली, निवासी के.पाटन

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम,1954

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र शंकर आ0 नन्दा जाति माली निवासी ग्राम मालिकपुरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 237 रकबा 05 बिस्वा वाकेग्राम मालिकपुरा आवंटन आदेश दिनांक 17.06.1976 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थिया को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के फोत जाने से उसके विधिक वारिसान की सूचना तलब की गई। तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट क्रमांक 1527 दिनांक 03.09.2019 के अनुसार मृतक अप्रार्थी शंकर आ.नन्दा के एक पुत्र नाथूलाल (फोत), दो पुत्रियां नाथी, पाथी (दोनों फौत) एवं पत्नी (फोत) की सूचना प्राप्त हुई। आवंटी के विधिक वारिसान

न्यायालय जिला कलक्टर * सत्यमेव जयते * बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर; बून्दी

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया, जो बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण दिनांक 24.08.2020 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थिया को दिनांक 17.06.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी एवं उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और आरक्षित मूल्य भी जमा नही करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी शंकर आ0 नन्दा जाति माली निवासी ग्राम मालिकपुरा को मिसल संख्या 2691 दिनांक 17.06.1976 को ग्राम मालिकपुरा की आराजी खसरा संख्या 237 रकबा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट है। जिससे आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना एवं बकाया राशि जमा संबंधी दस्तावेज पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा शंकर आ0 नन्दा जाति माली निवासी ग्राम मालिकपुरा को मिसल सं. 2691 दिनांक 17.06.1976 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 237 रकबा 05 बिस्वा (वर्तमान खसरा संख्या 395 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं 396 रकबा 0.03हैक्टेयर) ग्राम मालिकपुरा निरस्त किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

न्यायालय जिला कलक्टर * सत्यमेव जयते * बून्दी (राज.)

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी